

न्यायालय: अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-502 / 2012
संस्थित दिनांक-07.06.2012
फाईलिंग क.234503000402012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

आनंद कुमार पिता देवलाल परते, उम्र-23 वर्ष,
निवासी-ग्राम पौनी (मोहगांव), थाना मलाजखण्ड,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-07.09.2017 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध किये जाने का आरोप है कि उसने दिनांक-15.05.2012 को 07:30 बजे स्थान चालीस मकान कटियार आरा मील के सामने मेन रोड बैहर अंतर्गत थाना बैहर में लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक-सी.जी.-07 एल.जी.-6537 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, आहत बिसराम को टक्कर मारकर उपहति कारित किया तथा आहत सुमेरसिंह को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-17.05.2012 को 22:45 बजे प्राप्त अस्पताल मेमो की जांच सी.एच.सी. बैहर जाकर किया। जांच दौरान आहत मुर्तजर के कथन लेख किये गये जो एक-दूसरे के कथन की ताईत करते कथन लेख कराये कि घटना दिनांक को वह अपनी हीरोहोण्डा डिलक्स मोटर सायकिल पर गांव के सुमेरसिंह मरकाम के साथ बैठकर बैहर आ रहा था, तभी शाम करीब 7:30 बजे चालीस मकान कटियार आरा मील के सामने मेन रोड पर बैहर तरफ से सामने से ट्रक क्रमांक-सी.जी.-07 एल.जी.-6537 का चालक तेज गति लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते लाकर सामने ड्रायवर साईड से उसकी मोटर सायकिल को टक्कर मार दिया, जिससे उसके बांये हाथ की गदेली अंगुलियों में चोट लगकर

खून निकला और सुमेरसिंह को चोट लगी और उसकी मोटर सायकिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। वाहन चालक घायल मुर्तजरो व ट्रक को छोड़कर भाग गया था। मेडिकल रिपोर्ट एवं आहत की डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर ट्रक क्रमांक-सी.जी-07 एल.जी.-6537 के चालक का कृत्य धारा-279, 337 भा.दं.सं. तथा 184/187 मो.व्ही. एक्ट का पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका-नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा जप्तशुदा वाहन को जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना के दौरान अंतिम प्रतिवेदन में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-338 का ईजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-धारा-279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

- 1- क्या आरोपी ने उसने दिनांक-15.05.2012 को 07:30 बजे स्थान चालीस मकान कटियार आरा मील के सामने मेन रोड बैहर अंतर्गत थाना बैहर में लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक-सी.जी-07 एल.जी.-6537 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2- क्या आरोपी ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर आहत बिसराम को टक्कर मारकर उपहति कारित किया ?
- 3- क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत सुमेरसिंह को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01, 02 एवं 03

नोट- सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05- साक्षी बिसराम धुर्वे अ.सा.01 का कहना है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना वर्ष 2015 के शाम लगभग 07:30 बजे की है। घटना दिनांक को वह अपनी

मोटर सायकिल पर पीछे सुमेरसिंह को बैठाकर ग्राम मोहरई से बैहर आ रहा था, जैसे ही उनकी मोटर सायकिल तन्नौर नदी के आगे छात्रावास के पास पहुँची तो एक सामने से आते हुए ट्रक ने उनकी मोटर सायकिल को टक्कर मार दिया, जिससे उन लोग गिर गये और उसे दाहिने हाथ और सिर पर तथा उसके साथ सुमेरसिंह को भी चोट आई थी। उक्त दुर्घटना ट्रक चालक की गलती से हुई थी तथा उक्त दुर्घटना में उसकी मोटर सायकिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। उसके समक्ष पुलिस ने गाड़ी को हुई क्षति के संबंध में नुकसानी पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि घटना बैहर, मलाजखंड रोड पर स्थित कॉलेज हॉस्टल से लगभग पचास मीटर बैहर की ओर घटित हुई थी, जो रात्रि करीब 7:30 बजे की थी। घटना के समय बहुत अंधेरा था और आने-जाने वाले वाहनों की लाईट जल रही थी, जैसे ही वे ट्रक से टकराये थे वह गिरकर बेहोश हो गया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि जिस ट्रक से उसकी टक्कर हुई थी वह घटनास्थल से बीस-पच्चीस मीटर दूर जाकर रुका था और चालक घटनास्थल पर नहीं था और वह भाग गया था। जिस ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके हेड लाईट के कारण वह यह नहीं देख पाया था कि ट्रक के अंदर कौन बैठा था और घटना के समय ट्रक कौन चला रहा था। घटनास्थल पर रोड काफी गड्ढे वाली है। घटना के समय ट्रक अपने साईड से आते हुए कास कर चुका था और वह भी अपने साईड से चलते हुए ट्रक को कास कर चुका था। उसने ट्रक को कास करने के पश्चात अपनी मोटर सायकिल को बीच रोड में लाने के लिये दाहिने ओर घुमाया पर चूँकि ट्रक लंबा था और पूरा कास नहीं हुआ था, इसलिये उसकी मोटर सायकिल का हेण्डल ट्रक के पीछे पहिये वाले हिस्से से टकरा गया था, जिससे उक्त दुर्घटना घटित हुई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि चूँकि उक्त घटना में उसे चोटें आई थी इसलिये वह असत्य कथन कर रहा है तथा उसकी गलती से उक्त दुर्घटना घटित हुई थी।

06— साक्षी सुमेरसिंह अ.सा.05 का कहना है कि घटना करीब तीन साल पुरानी चालीस मकान हॉस्टल के पास बैहर में शाम के सात बजे की है। वह अपने मामा के लड़के बिसराम धुर्वे के साथ मोटरसाइकिल से सिविल लाईन तरफ जा रहा था। मोटरसाइकिल को बिसराम चला रहा था, उसी समय बैहर तरफ से आ रहे दस

चक्के ट्रक से हॉस्टल के पास उनका एक्सीडेंट हो गया था। घटना में उसे जांघ पर गंभीर चोट आयी थी एवं बिसराम के सिर पर चोट आयी थी। घटना के बाद उन लोगों को ईलाज के लिए बैहर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ट्रक को आप आरोपी आनंद चला रहे थे। घटना आप आरोपी की गलती से हुई थी, क्योंकि उन लोग अपनी दिशा से जा रहे थे और आप आरोपी ने उनकी विपरीत दिशा में आकर उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उसे 22 टांके लगे थे। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटना का मौकानक्शा प्र.पी.05 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया कि उक्त घटना रात्रि करीब सात बजे की है। मोटर सायकिल में वे दो लोग जा रहे थे, गाड़ी को बिसराम धुर्वे चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि बिसराम धुर्वे शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, किन्तु यह स्वीकार किया कि रोड पर वाहन हेड लाईट जलाकर चल रहे थे और ट्रक उनके सामने से हेड लाईट जलाकर आ रहा था। हेड लाईट जले होने के कारण ट्रक कौन चला रहा था अथवा ट्रक में कितने लोग बैठे थे यह उन्हें दिखाई नहीं दिया था।

07— साक्षी सुमेरसिंह अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि रोड पर वे अपनी साईड से जा रहे थे और ट्रक भी अपनी साईड से जा रहा था और ट्रक ने उनकी मोटर सायकिल को पर्याप्त दूरी बनाते हुए कास किया था। उनकी मोटर सायकिल के साईड से ट्रक कास हो जाने के बाद बिसराम ने मोटर सायकिल को रोड के बीच में लाने के लिये एकदम से मोड़ दिया था और चूँकि ट्रक पूरा कास नहीं हुआ था, इसलिये उनकी मोटर सायकिल ट्रक के पिछले साईड से टकरा गई थी। उनकी मोटर सायकिल और ट्रक की आमने-सामने से कोई टक्कर नहीं हुई थी। बिसराम जो उनकी मोटर सायकिल को चला रहा था वह ट्रक के पूरा गुजर जाने के पश्चात कुछ देर के बाद मोटर सायकिल को बीच रोड में लाने के लिए मोड़ता तो उक्त घटना नहीं होती। बिसराम की उक्त लापरवाही की वजह से उक्त दुर्घटना हुई थी। उक्त घटना घटित होने में ट्रक चालक की कोई गलती नहीं थी। साक्षी के अनुसार ट्रक चालक ने ट्रक को लहरा दिया था, इसलिये घटना घटित हुई थी। उसने ट्रक लहराने वाली बात पुलिस को अपने बयान में बता दिया था, यदि उक्त बात उसके पुलिस कथन प्र.पी.01 में न लिखी हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकता। यह अस्वीकार किया कि वह आज न्यायालय में ट्रक चालक लहराने की बात झूठी बता रहा है तथा उसे उक्त घटना में

चोट आई थी, इसलिये आज वह ट्रक चालक के विरुद्ध झूठे कथन कर रहा है। यह स्वीकार किया कि उसने अपने पुलिस कथन प्र.पी.01 में पुलिस को यह बताया था कि ट्रक चालक घटनास्थल से ट्रक लेकर भाग गया था, किन्तु वह आनंद को नहीं पहचानता है। यह अस्वीकार किया कि वह बिसराम के बताये अनुसार आरोपी का नाम बता रहा हूँ।

08— साक्षी धर्मेन्द्र मानेश्वर अ.सा.03 का कहना है कि वह आरोपी को जानता है। घटना तीन-चार साल पूर्व की है। उसके समक्ष आनंद परते से थाना बैहर में एक ट्रक को मय दस्तावेजों के पुलिस ने जप्त किया था, जिससे आरोपी ने एक्सीडेंट किया था, जो प्र.पी.03 है, जिससे ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 की कार्यवाही थाने में नहीं गई थी तथा प्र.पी. 03 एवं प्र.पी.04 पर उसके हस्ताक्षर घटनास्थल पर लिये गये थे। प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 पर पुलिस ने जब उसके हस्ताक्षर करवाये थे, तब उक्त दोनों दस्तावेज कोरे थे और पुलिस के कहने पर उसने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिया था। पुलिस ने उन दस्तावेजों पर किस बाबत हस्ताक्षर करवाये थे, उसे नहीं बताया था। वह आरोपी के वाहन में हेल्पर के रूप में घटना के समय था। उक्त घटना में आरोपी के वाहन के साईड से दुर्घटनाग्रस्त मोटर सायकिल सुरक्षित रूप से साईड दिया गया था। मोटर सायकिल चालक के द्वारा आरोपी ट्रक से साईड लेने के बाद असुरक्षित रूप से मोटर सायकिल को रोड के बीच में लाने का प्रयास किया गया था। उसने यह नहीं देखा था कि ट्रक पूरा कास नहीं हुआ है और इसी कारण से मोटर सायकिल चालक की असावधानी से उक्त मोटर सायकिल ट्रक के पिछले साईड वाले हिस्से से टकरा गई थी।

09— साक्षी राजेन्द्र गिरी गोस्वामी अ.सा.06 का कहना है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना करीब तीन-चार वर्ष पूर्व गर्मी के समय वार्ड नम्बर 08 बैहर कब्रिस्तान के सामने गढ़ी मेन रोड की है। घटना के समय मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति किसी वाहन से टकराकर घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त हालत में पड़े हुए थे। उसने और आसपास के लोगों ने घटनास्थल पर जाकर उन लोगों को उठाया और बैहर अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। पुलिस ने उसके समक्ष ट्रक जप्त नहीं किया

था और ना ही मोटर सायकिल का नुकसानी पंचनामा बनाया था। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अस्वीकार किया कि दिनांक 18.05.2012 को घटनास्थल से उसके समक्ष पुलिस ने एक ट्रक जिसका नंबर सी.जी.07/एल.क्यू.-6537 जिसके सामने के कांच पर रोडवेज छत्तीसगढ़ सफेद कलर से लिखा हुआ था, ड्रायवर साईड के बाजू में खरोच आई है, दस चक्के का ट्रक है, ट्रक के दाहिने तरफ गाड़ी पर नीले कलर से एस.के.एन. लिखा है जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था, किन्तु प्र.पी.06 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। यह अस्वीकार किया कि उक्त दिनांक को ही पुलिस ने उसके समक्ष क्षतिग्रस्त हीरोहोण्डा मोटर सायकिल डिलक्स का नुकसानी पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, किन्तु उसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा उसने घटना होते हुए देखा था। साक्षी के अनुसार घटना होने के बाद घटनास्थल पर पहुँचा था, इसलिये वह नहीं बता सकता कि ट्रक चालक की गलती से उक्त दुर्घटना हुई थी। यह अस्वीकार किया कि प्र.पी.01 एवं प्र.पी.06 की कार्यवाही उसके समक्ष हुई थी, तभी उसने उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। यह स्वीकार किया कि वह पढ़ा लिखा है और पढ़कर ही किसी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना चाहिए, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था तथा मोटर सायकिल जिस वाहन से टकराई थी वह वाहन भी घटनास्थल पर नहीं था और उसने उक्त वाहन को नहीं देखा था। प्र.पी.01 एवं प्र.पी.06 पर उसके हस्ताक्षर पुलिस ने कोरे प्रपत्र पर कराया था और किस बाबद हस्ताक्षर करा रहे है, यह भी नहीं बताया था।

10— साक्षी उमाशंकर गिरी अ.सा.02 का कहना है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना दिनांक 17.05.2012 को वह अपने भाई राजेन्द्र गोस्वामी के घर चालीस मकान वार्ड नंबर 08 में गया हुआ था और जब उन दोनों भाई शाम करीब साढ़े सात बजे आंगन में बैठकर बात कर रहे थे, तभी बैहर तरफ से आ रहे ट्रक जिसका नंबर सी.जी.07/एल.क्यू.-6537 के चालक ने ट्रक को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर तन्नौर तरफ से आ रहे मोटर सायकिल पर सवार दो व्यक्तियों को ठोस मारकर

घायल कर दिया था। उन दोनों भाई और आसपास के लोग घटनास्थल पर जाकर देखे तो मोटर सायकिल सवार सोमेरसिंह तथा विश्रामसिंह को चोटें आई थी। उन लोगों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर ईलाज हेतु भर्ती कराया था। ट्रक का चालक ट्रक को छोड़कर भाग गया था। साक्षी ने प्र.पी.02 का कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया।

11— डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.09 का कहना है कि वह दिनांक 17.05.2012 को सी.एच.सी बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा एक तहरीर टी0आई0 बैहर को भेजी गई थी, जिसमें लेख था कि उसके द्वारा आहत बिसराम तथा आहत सुमेरसिंह पिता प्रतापसिंह मसराम, उम्र-24 साल, निवासी मोहरई को रात 08 बजे भर्ती किया गया है, जिन्हें रोड एक्सीडेंट से चोटें आई थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.08 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसे थाना बैहर से एक मुलाहिजा प्राप्त हुआ, जिसे सैनिक नंबर 181 थाना बैहर द्वारा आहत बिसराम पिता लोकसिंह धुर्वे उम्र-25 साल को लाने पर उसके द्वारा उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया। आहत बिसराम को लेसरेटेड वुंड जो सिर के अग्रभाग के मध्य भाग, कंट्यूजन नाक के अग्रभाग, लेसरेटेड वुंड दाहिने पंजे के रिंग फिंगर पर बाहर की तरफ, कंट्यूजन विथ एब्रेजन बांये नी-ज्वाँईट पर सामने की तरफ पाया था। आहत बिसराम सामान्य अवस्था में था तथा उसके हृदय तंत्र एवं श्वसन तंत्र नियमित चल रहे थे। आहत को चोट क्रमांक 01 एवं 03 के लिये एक्स-रे की सलाह दी थी, शेष चोटें साधारण प्रकृति की थी। उक्त चोटें कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी तथा चोट क्रमांक 04 खुरदुरे सतह से आ सकती है। उक्त चोटें उसकी जांच के 06 घंटे के भीतर की थी तथा आहत को टांके लगाये गये थे तथा उसे देख-रेख हेतु भर्ती कर आगे जांच एवं उपचार हेतु बालाघाट अस्पताल रिफर किया गया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.09 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12— डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.09 के अनुसार उसी दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा आहत सुमेरसिंह पिता प्रतापसिंह मसराम, उम्र-24 साल, निवासी मोहरई को लाने पर उसके द्वारा परीक्षण किया गया था, जिसमें निम्न चोटें पाई थी। लेसरेटेड वुंड दाहिने जांघ पर बाहर की तरफ, कंट्यूजन, बांये एल्बो ज्वाँईट पर बाहर की तरफ, एब्रेजन(ग्रेज) बांये हाथ पर बाहर की तरफ पाया था तथा आहत होश में

था एवं हृदय तंत्र एवं श्वसन तंत्र नियमित चल रहे थे। आहत को चोट क्रमांक 01 के लिये एक्स-रे की सलाह दी थी तथा शेष चोटें साधारण प्रकृति की थी जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी तथा चोट क्रमांक 03 खुरदुरे सतह से आ सकती है। उक्त चोटें उसकी जांच के 06 घंटे के भीतर की थी तथा आहत सुमेर को देख-रेख हेतु भर्ती किया गया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.10 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आहत सुमेरसिंह का एक्स-रे कराया गया था, जिसका एक्स-रे प्लेट क्रमांक 262 है, जो कि प्र.पी.11 के आर्टिकल ए-1 है, जिसमें उसने कोई अस्थिभंग नहीं होना पाया था। उसके द्वारा आहत बिसराम का सिर एवं दाहिने पंजे का एक्स-रे कराया गया था, जिसका एक्स-रे प्लेट क्रमांक 260 है, जो कि प्र.पी.12 के आर्टिकल ए-2 है उसने आहत के सिर पर कोई अस्थिभंग नहीं होना पाया था तथा पंजे के रिंग फिंगर में अस्थिभंग होना पाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के अन सुझावों को अस्वीकार किया कि आहत बिसराम को आई चोट क्रमांक 02, 03 एवं 04 में चोट की प्रकृति के बारे में प्र.पी.09 में अंकित नहीं है, इसी कारण से उक्त चोट की अवधि के बारे में नहीं बताया जा सकता, उसके द्वारा चोट क्रमांक 01 के आधार पर चोट क्रमांक 02, 03 एवं 04 की अवधि के बारे में बताया गया है, चोट क्रमांक 02, 03 एवं 04 दो-तीन दिन पूर्व की चोटें थी तथा आहतगण को आई उपरोक्त चोटें सामान्यतः मारपीट एवं गिरने से आ सकती है।

13— साक्षी रोशनसिंह ताराम अ.सा.04 का कहना है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष कुछ जप्त नहीं किया था। उसके समक्ष पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसके समक्ष आनंद परते से ट्रक मय दस्तावेज जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 बनाया था, किन्तु जप्ती पत्रक प्र.पी.03 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा पुलिस ने उसके समक्ष आनंद परते को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 बनाया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि वह घटना के बारे में नहीं जानता है और वह आरोपी को भी नहीं पहचानता है। उसके बोदे का एक्सीडेंट हुआ था, उस प्रकरण के संबंध में कहकर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर लिये थे।

14— साक्षी विजय कटियार अ.सा.07 का कहना है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष कुछ जप्त नहीं किया था और ना ही नुकसानी पंचनामा बनाया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि दिनांक 18.05.2012 को घटनास्थल से उसके समक्ष पुलिस ने एक ट्रक जिसका नंबर सी.जी.07/एल.क्यू-6537 जिसके सामने के कांच पर रोडवेज छत्तीसगढ़ सफेद कलर से लिखा हुआ था, ड्रायवर साईड के बाजू में खरोच आई है, दस चक्के का ट्रक है, ट्रक के दाहिने तरफ गाड़ी पर नीले कलर से एस. के.एन. लिखा है जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था, किन्तु प्र.पी.06 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। यह अस्वीकार किया कि उक्त दिनांक को ही पुलिस ने उसके समक्ष क्षतिग्रस्त हीरोहोण्डा मोटर सायकिल डिलक्स का नुकसानी पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, किन्तु उसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। यह अस्वीकार किया कि प्र.पी.01 एवं प्र.पी.06 की कार्यवाही उसके समक्ष हुई थी, तभी उसने उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। यह स्वीकार किया कि वह पढ़ा लिखा है और पढ़कर ही किसी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना चाहिए, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था तथा प्र.पी.01 एवं 06 पर उसके हस्ताक्षर पुलिस ने कोरे प्रपत्र पर कराये थे और किस बाबत हस्ताक्षर करा रहे हैं, यह भी नहीं बताये थे।

15— साक्षी रामभजन साहू अ.सा.08 का कहना है कि वह दिनांक 17.05.12 को थाना बैहर में गस्ती प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अस्पताल तहरीर जांच हेतु प्राप्त होने पर आहत बिसराम सिंह धुर्वे, सुमेरसिंह मरकाम ग्राम मोहरई से घटना के संबंध में पूछताछ कर कथन लेख किया था, जो एक-दूसरे के कथन को मिलाते हुए लेख कराये थे कि दिनांक 17.05.12 को हीरोहोण्डा डीलक्स मोटरसाइकिल को ट्रक चालक ने ठोस मार दिया था, जिससे आहत की मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गयी थी। आरोपी ट्रक छोड़कर भाग गया था। मेडीकल रिपोर्ट एवं आहत के कथन के आधार पर ट्रक क्रमांक सी.जी.07/एल.क्यू 6537 के चालक के विरुद्ध धारा 279, 337 भा.दं०स० एवं धारा 184,187 मो.व्ही.एक्ट के अंतर्गत अपराध क्रमांक 73/12 आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। आहत बिसराम सिंह धुर्वे की निशादेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.05 बनाया गया था, जिसके ए से ए

भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आहतगण का मुलाहिजा फार्म भरकर सी.एच.सी बैहर भेजा गया था।

16— साक्षी रामभजन साहू अ.सा.08 के अनुसार दिनांक 18.05.12 को घटनास्थल से गवाह राजेन्द्रगिरी गोस्वामी, बी.एस. कटियार के समक्ष एक ट्रक क्रमांक सी.जी.07/एल.क्यू. 6537 प्र.पी.06 के अनुसार जप्त किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 19.05.12 को आरोपी आनंद कुमार परते द्वारा गवाह धर्मेन्द्र एवं रोशन के समक्ष ट्रक क्रमांक सी.जी.07/एल.क्यू. 6537 वाहन मय दस्तावेजों के जप्त किया था जो प्र.पी.03 है जिसके सी से सी भाग पर उसके एवं डी से डी भाग पर आप आरोपी आनंद के हस्ताक्षर है। उसने प्र.पी.01 के अनुसार आहत की मोटरसाईकिल चैचिस नम्बर एम.बी.एल.एच.ए.11.ई.एल.9.डी.10867 का नुकसानी पंचनामा तैयार किया था, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 19.05.12 को आरोपी आनंद परते को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.04 है तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके एवं डी से डी भाग पर आप आरोपी के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक सी.जी. 07/एल.क्यू. 6537 का परीक्षण नरेन्द्र पटले चालक से कराया गया था। उसके द्वारा विवेचना के दौरान आहत बिसराम, सुमेरसिंह गवाह उमाशंकर गिरी, राजेन्द्र गिरी के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। विवेचना के दौरान आहतों का एक्स-रे पिरोट के आधार पर अस्थिभंग होने से धारा-338 भा.दं०स० का इजाफा किया गया था और आरोपी चालक का कृत्य अपराध धारा-279, 337, 338, भा.दं०स० में सबूत पाये जाने से अभियोग पत्र क 58/12 दिनांक 25.05.12 को तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

17— साक्षी रामभजन साहू अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि प्र.पी.07 उसके द्वारा आरोपी को झूठा फंसाने के लिये अपने मन से लेख किया गया है। प्र.पी.01 उसके द्वारा गवाहों की उपस्थिति में नहीं बनाया गया है एवं बिना वाहन के जांच करवाये अपने मन से लेखबद्ध किया गया है। प्र.पी.03, 05 एवं 06 उसके द्वारा थाने पर गवाहों की अनुपस्थिति में बनाया गया है और प्र.पी.03, 05 एवं 06 को बनाने के पूर्व ही उसके द्वारा उस पर गवाहों के हस्ताक्षर लिये गये थे। उसके द्वारा साक्षियों के कथन आरोपी को झूठा फंसाये जाने के लिए उनके बताये अनुसार न लिखकर अपने मन से लेख किये गये हैं। उसके

द्वारा बिना देखे ही मोटर सायकिल का झूठा नुकसानी पंचनामा बनाया गया है। उक्त घटना में मोटर सायकिल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह स्वीकार किया कि इस प्रकरण में उसने मोटर सायकिल की जप्ती नहीं की थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि वाहन दुर्घटना प्रकरण में यदि प्रार्थी के वाहन को भी नुकसान हुआ हो तो साक्ष्य की दृष्टि से दोनों वाहन की जप्ती की जाती है। यह अस्वीकार किया कि प्रार्थी के वाहन का झूठा नुकसानी बताये जाने के लिए प्रार्थी के वाहन को जप्त नहीं किया है तथा उसने घटनास्थल से ट्रक को जप्त नहीं किया था।

18— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा चालित वाहन से कारित दुर्घटना में आहतगण बिसराम तथा सुमेरसिंह को उपहति कारित हुई थी, परंतु उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की हैं। घटना के दोनों आहतगण ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय ट्रक मोटर सायकिल से कास हो चुका था, परंतु लंबा होने के कारण मोटर सायकिल बीच रोड में लाने के लिए घुमाने पर ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई थी। ट्रक में सवार हेलपर धर्मेन्द्र मानेश्वर अ.सा.03 ने भी प्रतिपरीक्षण में उक्त तथ्य की पुष्टि की है। स्वयं आहत सुमेरसिंह अ.सा.05 ने घटना मोटर सायकिल चालक बिसराम की लापरवाही के कारण होने के कथन किये हैं। यद्यपि उक्त साक्षी ने पश्चात कथन में ट्रक लहराने के कारण दुर्घटना होने के कथन किये हैं, परंतु उक्त कथन इसलिये विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि मोटर सायकिल चालक बिसराम अ.सा.01 ने ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर

मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा आहत बिसराम को टक्कर मारकर उपहति कारित किया तथा आहत सुमेरसिंह को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया। है। अतः अभियुक्त आनंद कुमार परते को भा.दं०सं० की धारा-279, 337 एवं 338 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक-सी.जी-07 एल.जी.-6537 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

21. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / -
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही / -
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)